

पेशा हो

9/22

पुस्तकालय में पुस्तकें रखी गई हैं। बाकी खर्च वकील वकील  
दोनों अनुपासीयत । न्यायालय सभ्य से लीज  
कार रकम-रकम कर आवाज पुस्तकें गरी  
लोकेशन कोई उपस्थित नहीं है जो अपने  
पुस्तकालय का अवलोकन किया । पूर्व आदेशों के  
के मुताबिक वकील वकील को तलबी पेशा करने  
है पुस्तक अवसर खर्च दि० 2-8-22, 6-9-22  
एवं 12-9-22 आदि अवसर उदरन करने के  
बावजूद तलबी पेशा नहीं की गई । न्यायालय  
अनुसार आदेश-3 किपत 3 व 5 cl e से  
बाद खर्च करण उपरि सभ्यता है। अब  
वकील वकील किया जाता है। पुस्तकालय  
मुद्रा होकर दस्तावेज दस्तावेज है।

सपखण्ड अधिकारी  
आलावाड